

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल
भोपाल दिनांक 19/05/2023
क्रमांक/स्थापना-2/क/प्रत्या./939/1466

//आदेश//

म.प्र. राज्य मंडी बोर्ड के आदेश क्र./बोर्ड कार्मिक/क/प्रत्या./939/1421-1422 भोपाल, दिनांक 29.04.15 द्वारा मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मओप्रओ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 65(2) एवं मओ प्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 93 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न परिशिष्ट-'अ' की कंडिका 01 से 40 में वर्णित प्रशासकीय अधिकारों को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

में गौतम सिंह, प्रबंध संचालक, मओप्रओ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 65(2) एवं मओ प्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 93 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रत्यायोजित प्रशासकीय अधिकारों के संलग्न परिशिष्ट-'अ' की कंडिका 26 में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति संबंधी प्रशासकीय अधिकारों को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से अधिकृत करते हुये आंशिक संशोधन कर अपर संचालक, मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को भी अधिकार प्रत्यायोजित करता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(गौतम सिंह)

प्रबंध संचालक

मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

भोपाल दिनांक 19/05/2023

क्रमांक/स्थापना-2/क/प्रत्या./939/1467

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- विशेष सहायक, मान. मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह-अध्यक्ष मंडी बोर्ड।
- 2- निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 3- अपर संचालक(समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 4- मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- 5- संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 6- संचालक/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,(समस्त)..... ।
- 7- समस्त कार्यपालन यंत्री तकनीकी कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ।
(मुख्या.कृ.उ.मं.स.....जिला.....(मओप्रओ)
- 8- उप संचालक (बोर्ड बैठक) मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 9- समस्त उपसंचालक/सहायक संचालक/लेखाधिकारी, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 10- समस्त पटल प्रभारी मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल की ओर पालनार्थ।
- 11- आदेश नस्ती/समस्त शाखा..... मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक

मओप्रओ राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

संशोधित प्रत्यायोजित प्रशासनिक अधिकार
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

| क्र | मद | प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं | प्रत्यायोजित अधिकार की सीमा | संशोधित प्राधिकारी जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं | संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार |
|-----|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना | प्रबंध संचालक संयुक्त संचालक, (विधि) संयुक्त संचालक मुख्यालय आंचालिक संयुक्त संचालक/कार्यपालन यंत्री तकनिकी सभाग | पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार उच्च संचालक स्तर तक पूर्ण अधिकार अधीनस्थों तक | प्रबंध संचालक अपर संचालक संयुक्त संचालक, (विधि) संयुक्त संचालक मुख्यालय आंचालिक संयुक्त/उच्च संचालक/कार्यपालन यंत्री तकनिकी सभाग | पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार उच्च संचालक स्तर तक पूर्ण अधिकार अधीनस्थों तक |

टीप-

1- व्याख्या/स्पष्टीकरण

- अव्यक्त, मंडी बोर्ड जिन कार्यों का स्पष्टीकरण या स्पष्ट व्याख्या नहीं है उनमें अन्यथा उल्लिखित न होने पर बोर्ड हित में कार्य की आवश्यकता तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति दे सकेंगे।
- प्रबंध संचालक को सामान्यतः प्रत्येक मद से प्रशासनिक नियंत्रण हेतु पूर्ण अधिकार होने जिन कार्यों में स्पष्ट व्याख्या नहीं है उनमें भी प्रबंध संचालक को कार्य की आवश्यकता तथा महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उचित आधा पर स्वीकृति देने के पूर्ण अधिकार होंगे।
- प्राधिकारी जिन्हें कि अधिकार प्रदत्त है उसके सही परिप्रेक्ष्य में उपयोग/नियमानुसार पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत विनियमों में नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त अधिकारी से है।
- नियंत्रण अधिकारी से अभिप्रेत उच्च अधिकारी से है जिसके सीधे नियंत्रण में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है।

(गौतम सिंह)

प्रबंध संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल